न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुनवाई बनाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा नं. 63/2020
13.02.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हैं।

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती हैं, विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अंतिम डिकी का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:53:04
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
63/2020	2020/00100	19.07.2022	13.02.2025

उनवान प्रकरण

1– सुरजाराम पुत्र जमनलाल आयु 62 वर्ष

2. सरदारा पुत्र जमनलाल आयु 55 वर्ष

3. नारूराम पुत्र जमनालाल आयु 52 वर्ष

4. कैलाश पुत्र जमनालाल आयु 42 वर्ष

5. गुल्ली देवी पत्नि स्व. जमनलाल आयु 78 वर्ष

6. गीता पुत्री स्व0 जमनलाल आयु 50 वर्ष

7. बिरदी पुत्री जमनलाल आयु 48 वर्ष

8. भागोती पुत्री जमनालाल आयु 44 वर्ष

9. संतोष पुत्री जमनलाल आयु 44 वर्ष

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––वादीगण–

बनाम्

1– फूलाराम पुत्र रणजीत आयु 50 वर्ष जाति [illegible] निवासी ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

2 फूलाराम पुत्र जमनलाल आयु 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

3– भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :–

श्री जे0पी0 गुर्जर, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री झाबरमल, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से।

वादपत्र बाबत् उद्घोषणा, तकास्मा
स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 1167 रकबा 0.17 हैक्टर चाही–1, खसरा नम्बर 61 रकबा 3.47 हैक्टर गै0मु0 नाला, खसरा नम्बर 62 रकबा 1.44 हैक्टर बारानी–3, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.16 हैक्टर बारानी–3, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.12 हैक्टर बारानी–3, खसरा नम्बर 924 रकबा 0.43 हैक्टर बारानी–1, खसरा नम्बर 930 रकबा 0.64 हैक्टर चाही कुल किता–7 कुल रकबा 6. 43 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.05 हैक्टर गे0मु0 चाह अवस्थित तन ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1155 रकबा 0.13 हैक्टर चाही–1, खसरा नम्बर 1156 रकबा 0.11 हैक्टर चाही–1, खसरा नम्बर 1157 रकबा 0.13 हैक्टर चाही–1, खसरा नम्बर 1158 रकबा 0.13 हैक्टर चाही–1, खसरा नम्बर 1159 रकबा 0.17 हैक्टर चाही–1, खसरा नम्बर 1163 रकबा 0.11 हैक्टर चाही–1 कुल किता–6 कंल रकबा 0.78 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1972/340 रकबा 0.14 हैक्टर बारानी–1, खसरा नम्बर 1973/340 रकबा 0.06 हैक्टर गै0मु0 रास्ता, खसरा नम्बर 1974/340 रकबा 0.64 हैक्टर बारानी–1, खसरा नम्बर 1991/341 रकबा 0.03 हैक्टर, गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1992/341 रकबा 0.31 हैक्टर बारानी–1, खसरा नम्बर 1993/342 [illegible]017 हैक्टर गै0मु0रास्ता, खसरा नम्बर 1994/342 रकबा 0.4480 बारानी–1 खसरा नम्बर 34[illegible] 0.55 हैक्टर बारानी कुल किता–8 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

रकबा 2.19 हैक्टर अवस्थित ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है। उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1167, 61, 62, 63, 65, 924, 930 कुल किता 7 कुल रकबा 6.43 हैक्टर संपूर्ण एवं उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.05 हैक्टर गै0मु0 चाह के 1/3 हिस्सा और तादाद में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1163 कुल किता 6 कुल रकबा 0.78 हैक्टर संपूर्ण में वादीगण 1/2 हिस्से के एवं प्रतिवादी नम्बर 1 फूलाराम 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1972/340, 1973/340, 1974/340, 1991/341, 1992/241, 1993/342, 1994/342, 344 कुल किता 8 कुल रकबा 2.19 हैक्टर में वादीगा नम्बर 1 ता 4 व 6, 7 के हिस्से में 0.7665 हैक्टर एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से में 0.3835 हैक्टर और शेष रकबा 1.0400 हैक्टर के अन्य सहखातेदान खातेदार काश्तकार है। वादीगण एवं प्रतिवादी दोनो एक ही परिवार खानदान के व्यक्ति है। वादीगण एवं प्रतिवादी दोनो ही जमनलाल पुत्र चेता के पुत्रगण पुत्रीया एवं पत्नि है प्रतिवादी नमबर 1 फूलाराम अपने ताउ रणजीत पुत्र चेता के गोद चला गया था। जमनलाल पिता/पति वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 फूलाराम के दतक ग्रहिता पिता रणजीत दोनो [redacted] भाई थे। प्रतिवादी नम्बर 1 के नैसर्गिक (प्राकृतिक) पिता जमनलाल था। प्रतिवादी नम्बर 1 फूलाराम [redacted] रीति रिवाज एवं सामाजिक परम्परानुसार रणजीत पुत्र चेता ने गोद लिया था। प्रतिवादी नमबर 1 फूलाराम रणजीत के गोद चले जाने के पश्चात उसके नैसर्गिक पिता जमनलाल की समस्त चल अचल भूमि भवन संपति में कोई हक अधिकार विधिक रूप से नही है। प्रतिवादी नम्बर 1 फूलाराम अपने दतक ग्रहिता पिता रणजीत के स्वर्गवास के पश्चात उसकी समस्त संपति भूमियों भवन का स्वामी है। रणजीत के स्वर्गवास के पश्चात उसकी काबिज खातेदारी कृषि भूमियों में रणजीत के स्थान पर प्रतिवादी नम्बर 1 फूलाराम दतक पुत्र रणजीत के नाम से राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी अंकन हो चूकी है। अब वादीगण के पिता/पति जमनलाल के स्वर्गवास के पश्चात उसकी कब्जे काश्त खातेदारी कृषि भूमियों का विरासत नामान्तकरण करते समय प्रतिवादी नम्बर 1 फूलाराम को भी उसका वारिस मानते हुए उसको भी वादीगण के साथ जमनलाल के स्थान पर राजस्व रिकार्ड मे खातेदार अंकित किया गया जो सर्वथा गलत है। क्योंकि प्रतिवादी नमबर 1 फूलाराम अपने ताउ रणजीत पुत्र चेता के गोद चला गया था और नैसर्गिक पिता जमनलाल के जीवित रहते है स्व0 रणजीत के स्थान पर उक्त कृषि भुमियों में विरासत/उतराधिकार में खातेदार हो चुका है। इस प्रकार हिन्दू विधि के अनुसार कोई व्यक्ति गोद चला जाता है तो उसका उसके नैसर्गिक पिता की संपति भूमि भवन में विधिक अधिकार समाप्त हो जाते है। इस प्रकार उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी में प्रतिवादी नम्बर 2 फूलाराम पुत्र जमनलाल का नाम गलत रूप से अंकन है। प्रतिवादी नम्बर 1 फूलाराम पुत्र रणजीत एवं [redacted] जमनलाल दोनो एक ही व्यक्ति है। उक्त प्रतिवादी नम्बर 2 फूलाराम पुत्र जमनलाल का नाम उक्त भूमियों की खातेदारी से हजब किया जाना न्यायो[illegible] फूलाराम पुत्र जमनलाल के स्थान पर वादीगण को ही बराबर–बराबर [illegible] कृषि भूमियों में वादीगण के पिता/पति स्व0 जमनलाल एवं प्रतिवादी [illegible] पुत्र रणजीत के मध्य आपसी सहमति से अपनी सुविधानुसार कृषि भूमियों की किश्म व मूल्य [illegible] के आधार पर मौके पर बाहमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

बंटवारा करीबन 30 वर्ष पूव होकर अलग–अलग बाहमी बंटवारे के अनुसार ही मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। बाहमी बंटवारे के अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 61 रकबा 3.47 हैक्टर गै0मु0 नाला, खसरा नम्बर 62 रकबा 1.44 हैक्टर बारानी–3, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.16 हैक्टर बारानी–3, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.12 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 5.19 हैक्टर प्रतिवादी नम्बर 1 फूलाराम पुत्र रणजीत के हिस्से में आयी थी और कृषि भूमि खसरा नम्बर 1167 रकबा 0.17 हैक्टर चाही, खसरा नम्बर 924 रकबा 0.43 हैक्टर बारानी, खसरा नम्बर 930 रकबा 0.64 हैक्टर चाही कुल किता 3 कुल रकबा 1.24 संपूर्ण और खसरा नम्बर 1155 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 1156 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 1157 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 1158 रकबा 0.13 हैक्टर चाही, खसरा नम्बर 1159 रकबा 0.17 हैक्टर चाही, खसरा नम्बर 1163 रकबा 0.11 हैक्टर चाही कुल किता–6 कुल रकबा 0.78 हैक्टर का 1/2 हिस्सा (अर्थात 0.39 हैक्टर) तथा खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.05 हैक्टर गै0मु0 चाह का 1/3 हिस्सा एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर (340, 341, 342, 344 कुल किता 4 कुल रकबा 2.19 हैक्टर) जिनके वर्तमान खसरा नम्बर 1972/340 रकबा 0.14 हैक्टर बारानी–1, खसरा [redacted] 1973/340 रकबा 0.06 हैक्टर गै0मु0 रास्ता, खसरा नम्बर 1974/340 रकबा 0.64 हैक्टर बारानी–1, [redacted] नम्बर 1991/341 रकबा 0.03 हैक्टर, गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1992/341 रकबा 0.31 हैक्टर बारानी–1, खसरा नम्बर 1993/342 रकबा 0.017 हैक्टर गै0मु0रास्ता, खसरा नम्बर 1991/342 रकबा 0.4480 बारानी–1, खसरा नमबर 344 रकबा 0.55 हैक्टर बारानी कुल किता–8 कुल रकबा 2.19 हैक्टर तथा इन भूमियों के अलावा एक अन्य कृषि भूमि खसरा नम्बर 311 रकबा 0.76 हैक्टर बारानी वादीगण के हिस्से में आयी थी। इस प्रकार वादीगण के 1/2 हिस्से में कुल रकबा 4.60 हैक्टर भूमि आयी थी। इस प्रकार वादीगण के हिस्से में 0.59 हैक्टर कम भूमि आयी थी। इस प्रकार वादीगण के हिस्से में 0.59 हैक्टर कम भूमि आयी थी। चूंकि प्रतिवादीगण के हिस्से में आयी भूमि बारानी किश्म थी। हल्की घटिया भूमिया आयी थी इसलिये उसे करीब 2 बीघा भूमि अधिक मिली थी यहा एक महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि वादीगण के 1/2 हिस्से मे आयी उक्त भूमियों में से वादीगण के पिता/पति स्वर्गीय जमनलाल द्वारा अपने हिस्से में आयी भूमि खसरा नम्बर 311 रकबा 0.76 हैक्टर का विकय सोनी पत्नि रूडाराम जाट निवासी लिसाडिया को पूर्व में ही कर दिया था तथा वादीगण द्वारा दिनांक 21.08.2020 को अब कृषि भूमि खसरा नम्बर 340, 341, 342, 344 कुल किता 4 कुल रकबा 2.19 हैक्टर में से रकबा 1.04 हैक्टर का विकय सीताराम यादव, छीतरमल यादव, नाहरमल यादव, बद्रीप्रसाद यादव, सरदाराम यादव, नारायणी देवी गुर्जर, प्रभूदयाल गुर्जर निवासीगण मण्डूस्या को कर दिया तथा फूलाराम पुत्र रणजीत ने उक्त वादीगण एवं पिता वादीगण [redacted] विक्रीत की गयी उक्त भूमि की विक्रय राशि (प्रतिफल राशि) में कोई हक हिस्सा प्राप्त नहीं किया है चुंकि उक्त विकित की गयी भूमिया वा[illegible] हिसरे में बाहमी बंटवारे में आयी हुई थी। दावा पेश कर निवेदन है कि [illegible] निम्नानुसार डिकी फरमाया जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व अभिलेख खातेदारी से प्रतिवादी नम्बर 2 फूलाराम पुत्र जमनलाल का नाम हजफ फरमाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण के नाम बराबर–बराबर खातेदारी घोषित कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:32:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती फरमायी जावे। वादग्रस्त कृषि भूमियां जो ग्राम गण्डूरया तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है उनके राजस्व रिकार्ड में विभिन्न तकास्मा बाहमी बंटवारे के अनुसार किया जाकर वादीगण के हिस्से में आयी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1167 रकबा 0.17 हैक्टर चाही, खसरा नम्बर 924 रकबा 0.43 हैक्टर बारानी, खसरा नम्बर 930 रकबा 0.64 हैक्टर चाही कुल किता 3 कुल रकबा 1.24 संपूर्ण और खसरा नम्बर 1155 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 1156 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 1157 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 1158 रकबा 0.13 हैक्टर चाही, खसरा नम्बर 1159 रकबा 0.17 हैक्टर चाही, खसरा नम्बर 1163 रकबा 0.11 हैक्टर चाही कुल किता–6 कुल रकबा 0.78 हैक्टर का 1/2 हिस्सा (अर्थात 0.39 हैक्टर) तथा खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.05 हैक्टर गै0मु0 चाह का 1/3 हिस्सा एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 1972/340 रकबा 0.14 हैक्टर बारानी–1, खसरा नम्बर 1973/340 रकबा 0.06 हैक्टर गै0मु0 रास्ता, खसरा नम्बर 1974/340 रकबा 0.64 हैक्टर बारानी–1, खसरा नम्बर 1991/341 रकबा 0.03 हैक्टर, गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1992/341 रकबा 0.31 हैक्टर बारानी–1, खसरा नम्बर 1993/342 रकबा 0.017 हैक्टर गै0मु0रास्ता, खसरा नम्बर [redacted]/342 रकबा 0.4480 बारानी–1, खसरा नमबर 344 रकबा 0.55 हैक्टर बारानी कुल किता–8 कुल रकबा 2.19 [redacted] में से 1.15 हैक्टर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से अलग दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 फूलाराम पुत्र (दत्तक) रणजीत के हिस्से की शेष कृषि भूमि खसरा नम्बर 61, 62, 63, 65 कुल किता 4 कुल रकबा 5.19 हैक्टर पर काबिज काश्त होने से प्रतिवादी नम्बर 1 को खातेदारी काश्तकार घोषित किये जाने तथा इसी अनुसार अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर अलग–अलग लगाना कायम किये जाने तथा अलग–अलग नक्शे में तरमीम किये जाने तथा प्रत्येक पक्षकार का अलग से बटटा नम्बर डाला जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया गया है।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जकार प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के एक ही व्यक्ति होने से इनकी ओर से श्री झाबरमल जाजोद एड0 ने उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा मय वकालतनामा पेश किया एवं इसके साथ ही प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के पक्ष मे राजीनामा भी पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या–3 की तामील सम्यक रूप से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती गई। साक्ष्य वादी में वादी नारूराम पुत्र जमनलाल का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र व वादी साक्ष्य गवाह में गिरधारी लाल पुत्र सुरजाराम का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादीगण ने प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पचायत– हथौरा में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर वादी एवं प्रतिवादी फूलाराम उपस्थित आये जिनकी पहचान वादीगण वकील श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एडवोकेट ने की। उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी एव उनके अधिवक्ता ने प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से एवं वादपत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

बंटवारा से संबंधित होने से वकील वादीगण ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में प्रारंभिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में पक्षकारान की आपसी सहमति से प्रारंभिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया। वकील वादीगण व पक्षकारान के निवेदन पर प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने से लोक अदालत की भावना से प्रारंभिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हू।

हमने वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो राजीनामा व इकबालिया जवाब दावा एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत 2074–2077 कुल चारा जमाबन्दियों मे वर्णित विवरणानुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण रिकॉर्ड सह खातेदार है। इस आधार पर वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53 बंटवारा की हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यो से यह प्रतित होता है कि ऐसी स्थिति में पक्षकारान अपने मध्य हुए बाहमी बंटवारे अनुसार अपने–अपने हक हिस्से में दर्ज खाते भूमियो का कब्जे काश्त अनुसार कृषि भूमियों का विधिक विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्यय सह खातेदारी में दर्ज कृषि भूमियों के हुये बाहमी बंटवारा अनुसार कृषि भूमि अवस्थित तन ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1167 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 924 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 930 रकबा 0.64 हैक्टर संपूर्ण एवं खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.05 हैक्टर चाह 1/3 हिस्सा व खसरा नम्बर 1155 रकबा 0.13 हैक्टर, 1156 रकबा 0.11 हैक्टर, 1157 रकबा 0.13 हैक्टर, 1158 रकबा 0.13 हैक्टर, 1159 रकबा 0.17 हैक्टर, 1163 रकबा 0.11 हैक्टर में 1/2 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 1972/340, 1973/340, 1974/340, 1991/341, 1992/341, 1993/342, 1994/342, 344 कुल किता 8 कुल रकबा 2.19 हैक्टर में से 115/219 हिस्सा अर्थात 1.15 हैक्टर पर वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा प्रतिवादी नम्बर 1 का कृषि भूमि खसरा नमबर 61 रकबा 3.47 हैक्टर, 62 रकबा 1.44 हैक्टर, 63 रकबा 0.16 हैक्टर, 65 रकबा 0.12 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 5.19 हैक्टर पर काबिज काश्त होने से प्रतिवादी नम्बर 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा इसी अनुसार अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर अलग–अलग लगान कायम किये जाने तथा अलग–अलग नक्शे में तरमीम किये जाने तथा प्रत्येक पक्षकार का अलग से बट्टा नमबर बाई मिटस एण्ड बाउण्ड बंटवारा किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण को खेातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर एक दूसरे का नाम हटाकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाये जाने [illegible] तथा अलग–अलग सीव कायम की जाकर नक्शें में तरमीम किये जाने हेतु [illegible] स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र प्रारम्भिक डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रकरण में वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मँगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.12.2021 को जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.12.2021 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम- 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प-51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्र कमांक 01/रीडर/2022 दिनांक 06.01.2022 एवं स्मरण पत्र कमांक 307/रीडर/2022 दिनांक 11.05.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 1863/भू.अ./2024 दिनांक 22.08.2024 के द्वारा प्राप्त [redacted]हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

[redacted]कील वादीगण ने प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी किए जाने बाबत वकील प्रतिवादीगण की सहमति जाहिर करने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा सहमत होते हुए उसके अनुसार वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन वकील वादीगण ने किया। वकुलाय उभय पक्षकारान ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व कुर्रेजात रिपोर्ट में अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः वकील वादीगण के निवेदन व वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ। दावे के अनुतोष प्रस्तुत राजीनाम एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादग्रसत भूमियां वादीगण व प्रतिवादी के दादा चेता से चली आ रही पैतृक भूमियां है तथा वादीगण के पिता दो भाई जमनलाल व रणजीत हुए। अतः कुल भूमि में उनके पिता जमनलाल व ताउ रणजीत का हिस्सा 1/2-1/2 जिसमें से वादीगण का भाई फूलाराम ताउ रणजीत के गोद जाकर कुल पैतृक संपति के 1/2 भाग का तथा शेष सभी वादीगण अपने पिता जमनलाल के 1/2 भाग के हकदार है। अतः जमनलाल के हिस्से में दर्ज फूलाराम/जमनलाल का नाम हजफ योग्य है। बंटवारे अनुसार रणजीत के वारिस के तौर पर [redacted]को 5.19 हैक्टर भूमि तथा जमनलाल के वारिसान के तौर पर 4.60 हैक्टर भूमि प्राप्त होना स्वीकार है, जिसमें से वादीगण स्वयं ने कुछ भूमि [illegible] को बेचा जाना जाहिर किया है। चूंकि बेचान की गई भूमि बाबत कोई विवाद नहीं है तथा [illegible] कोई रिलिफ/अनुतोष चाहा गया है। अतः उन खातेदारान को पक्षकार दावा में नहीं बनाया गया है। उक्तानुसार विश्लेषण से स्पष्ट हैं कि वादीगण के ताउ रणजीत के वारिसान के तौर पर कुल भूमि के 1/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:32:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हिस्से के रूप में 3.16 हैक्टर भूमि तथा वादीगण के पिता जमनालाल के 1/2 हिस्से में 4.60 हैक्टर भूमि वादीगण के पक्ष में आना जाहिर है। अतः उक्त विभाजन एवं घोषणा में स्थानांतरित हो रही अतिरिक्त भूमि का स्टाम्प शुल्क नियमानुसार राजकोष में लिया जाना एवं तत्पश्चात ही राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

क्रियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत उद्घोषणा, तकासमा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरुस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार पत्रांक 1863/भू.अ./2024 दिनांक 22.08.2024 में अंकित डिक्रीक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रू. में)
1.	1. फूलाराम पुत्र रणजीत हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	61	3.47	गै.मु.नाला	–
		62	1.44	बा. 3	2.68
		63	0.16	बा.3	0.30

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

		64	0.12	चा. 3	0.22
		किता 4	6.10	–	3.20
2	1. कैलाश पुत्र जमनलाल हि. 1/9 गुल्ली देवी पत्नि स्व. जमनलाल हि. 1/9 गीता पुत्री जमनलाल हि. 1/9 नानुराम पुत्र जमनलाल हि. 1/9 बिरदी पुत्री जमनलाल हि. 1/9 भागोती पुत्री जमनलाल हि. 1/9संतोष पुत्री जमनलाल हि. 1/9 सुरजाराम पुत्र जमनलाल हि. 1/9 सरदारा पुत्र जमनलाल हि. 1/9 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	924 930 1167	0.43 0.64 0.17	चा. 1 चा. 1 चा. 1	2.65 15.03 3.99
		किता 3	1.24	–	21.67
	कैलाश पुत्र जमनलाल हि. 1/18, गुल्ली देवी पत्नि स्व. जमनलाल हि. 1/18 गीता पुत्री जमनलाल हि. 1/18 नानुराम पुत्र जमनलाल हि. 1/18 बिरदी पुत्री जमनलाल हि. 1/18 भागोती पुत्री जमनलाल हि. 1/18 संतोष पुत्री जमनलाल हि. 1/18 सुरजाराम पुत्र जमनलाल हि.	1155 1156 1157 1158 1159 [illegible]	0.13 0.11 0.13 0.13 0.17 0.11	चा. 1 चा. 1 चा. 1 चा. 1 चा. 1 चा. 1	3.05 2.58 3.05 3.05 3.99 2.58

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

	1/18 सरदारा पुत्र जमनलाल हि. 1/18 ओमप्रकाश पुत्र कानाराम हि 1/64 नानगा पुत्र नाथूराम हि. 1/12 पालाराम पुत्र प्रभू हि. 1/24 बद्री पुत्र प्रभू हि0 1/24 बन्ना पुत्र प्रभू हि. 1/24 मनीष पुत्र कानाराम हि. 1/64 रामेश्वरी देवी पत्नि गोपाल हि0 1/12 सुरजी देवी पत्नि कानाराम हि. 3/32 साथूराम पुत्र नाथूराम हि. 1/12 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार				
		किता 6	0.78	—	18.30
	1. कैलाश पुत्र जमनलाल हि. 115/1971, गीता पुत्री जमनलाल हि. 115/1971 नानुराम पुत्र जमनलाल हि. 115/1971 बिरदी पुत्री जमनलाल हि. 115/1971 भागोती पुत्री जमनलाल हि. 115/1971 संतोष पुत्री जमनलाल हि. 115/1971 सुरजाराम पुत्र जमनलाल हि. 115/1971 सरदारा पुत्र जमनलाल हि. 115/1971 गुल्ली देवी पत्नि [illegible] जमनलाल 115/1971	1972/340 1973/340 1974/340 1991/341 1992/241 1993/342 1994/342 244	0.14 0.06 0.64 0.03 0.31 0.0120 0.4480 0.15	बा.1 गै.मु. रास्ता बा. 1 गै.मु. रास्ता बा.1 गै.मु. रास्ता बा. 1 बा. 1	0.86 — 3.95 — 1.91 — 2.76 3.39

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

	[illegible] देवी पत्नि [illegible] हि. 15/656 [illegible] पुत्र [illegible] हि. 15/656 [illegible] पुत्र [illegible] हि. 15/262 शामिल हि. 15/262 यूको बैंक शाखा अजीतगढ़ [illegible] पुत्र [illegible] हि. 15/262 [illegible] पुत्र [illegible] हि. 15/262 [illegible] पुत्र [illegible] हि. 15/262 शामिल हि. 15/2162 बड़ौदा राज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अजीतगढ़ सीताराम पुत्र नारायण हि. 62/210 शामिल हि. 62/210 शामिल हि. 62/210 यूको बैंक शाखा अजीतगढ़ जाति अहीर सा. देह खातेदार				
		किता-8	2.10	--	12.87
	कैलाश पुत्र जगनलाल हि. 1/27, गुल्ली देवी पत्नि स्व. जगनलाल हि. 1/27 गीता पुत्री जगनलाल हि. 1/27 नानुराम पुत्र जगनलाल हि. 1/27 बिरदी पुत्री जगनलाल हि. 1/27 भागोती पुत्री जगनलाल हि. 1/27 संतोष पुत्री जगनलाल हि. 1/27 सुरजाराम पुत्र जगनलाल हि. 1/27 सरदारा पुत्र जगनलाल हि. 1/27 [illegible]	1164	0.05	गै मु. बाद	--

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

	पुत्र नाथू हि. 1/3 सुगला पुत्र परसा हि. 1/3 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार					
		किता–1	0.05	–	–	

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये कमांक/भू.अ./24/1863 दिनांक 22.08.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है एवं प्रकरण में प्रतिवादी–2 के नाम दर्ज भूमि से नाम हजफ किया जावें। लेकिन उक्त विवेचनानुसार अतिरिक्त स्थानांतरित हो रही भूमि (5.19–4.60 = 0.59 हैक्टर) की नियमानुसार वर्तमान में प्रचलित दरों से स्टॉम्प डयूटी जमा लिए जाने के उपरांत ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर उक्तानुसार निर्णय की पालना सुनिश्चित करे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:04 IST
Reason: SelfAttested